

## राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

### प्रलिस के लयि:

एनसीएसके, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का नषिध और उनका पुनरवास अधनियम, 2013

### मेन्स के लयि:

हाथ से मैला उठाने वालों के जीवन के उत्थान में NCSK का महत्त्व ।

## चरचा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2022 के बाद अगले तीन वर्ष के लयि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है ।

- देश में सफाई कर्मचारी और पहचाने गए हाथ से मैला ढोने वाले प्रमुख लाभार्थी होंगे ।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग** (Manual Scavenging) को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों और सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

## प्रमुख बडि

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में:**
  - NCSK की स्थापना वर्ष 1993 में NCSK अधनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार सरकार को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लयि वशिषिट कार्यक्रमों के संबंध में यह अपनी सफारिशें देने के लयि की गई थी ।
    - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधनियम 29 फरवरी, 2004 से प्रभावी नहीं रहा । उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर-सांवधिकि संस्था के रूप में बढ़ाया गया है ।
    - सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लयि वशिषिट कार्यक्रमों के संबंध में यह सरकार को अपनी सफारिशें देता है, सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है ।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के नषिध और उनके पुनरवास अधनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, NCSK को अधनियम के कार्यान्वयन की नगिरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लयि नविदि सलाह देने, अधनियम के प्रावधानों के उल्लंघन/कार्यान्वयन के संबंध में शकियतों की जाँच करने का काम सौंपा गया है ।
  - आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सफाई कर्मचारियों व उनके आशरतियों की सामाजिक-आर्थिक और रहने की स्थितिका अध्ययन करने के लयि देश का व्यापक दौरा करते हैं ।
  - आयोग इन शकियतों/याचकियाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगता है और प्रभावित सफाई कर्मचारियों की शकियतों का नविरण करने के लयि उन पर दबाव डालता है ।
- स्थिति:**
  - NCSK (2020 डेटा) के अनुसार, पछिले 10 वर्षों में देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 631 लोगों की मौत हुई है ।
    - पछिले पाँच वर्षों में मैला ढोने से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या वर्ष 2019 में देखी गई । सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 110 मजदूरों की मौत हो गई ।
    - यह वर्ष 2018 की तुलना में 61% की वृद्धि है, जिसमें इस तरह की मौतों के 68 मामले देखे गए ।
  - वर्ष 2018 में एकत्र किये गए आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 29,923 लोग हाथ से मैला ढोने के कार्य में लगे थे, जो भारत के कसि भी राज्य में सबसे अधिक है ।
- संबंधित योजनाएँ:**
  - अत्याचार नविरण अधनियम**
    - वर्ष 1989 में अत्याचार नविरण अधनियम, स्वच्छता कार्यकर्त्ताओं के लयि एक एकीकृत उपाय बन गया, क्योंकि मैला ढोने वालों में से 90% से अधिक लोग अनुसूचित जातिके थे । वर्तमान में यह मैला ढोने वालों को नरिदषिट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लयि एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है ।

- **सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:**
  - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में **वशिष शौचालय दविस** (19 नवंबर) पर लॉन्च कया गया था ।
  - सरकार ने सभी राज्यों से अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इस 'चुनौती' का शुभारंभ कया है, इसके तहत यदा कसिी वयक्त को अपरहियर आपात स्थति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गयिर और ऑकसीजन टैंक आदा प्रदान कये जाते हैं ।
- **'स्वच्छता अभयान एप':**
  - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जयिटेग करने के लयि वकिसति कया गया है, ताकी अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से प्रतस्थिापति कया जा सके तथा हाथ से मैला ढोने वालों को गरमिपूरण जीवन प्रदान करने के लयि उनका पुनर्वास कया जा सके ।
- **राष्ट्रीय सफाई करमचारी वतित और वकिस नगिम:**
  - यह सामाजकि न्याय और अधकारति मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है ।
  - इसका प्राथमकि उद्देश्य सफाई करमचारयिों और उनके आशरतिों का सामाजकि एवं आर्थकि रूप से उत्थान करना है ।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:**
  - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लयि उन सभी लोगों की पहचान करना अनविर्य कर दया, जो वर्ष 1993 से सीवेज के कार्य में मारे गए तथा उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 10 लाख रुपए प्रदान कये गए ।
  - वर्ष 2014 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने अपने एक आदेश के माध्यम से सरकार को यह नरिदेश दया था कविह वर्ष 1993 के बाद से मैनुअल स्कैवेजि कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे ।

## हाथ से मैला उठाने वालों के नयिोजन का नषिध और उनका पुनर्वास अधनियिम, 2013:

- यह अधनियिम हाथ से मैला ढोने वालों के नयिोजन, बना सुरक्षा उपकरणों के सीवर व सेप्टकि टैंकों की हाथ से सफाई और अस्वच्छ शौचालयों के नरिमाण पर रोक लगाता है ।
- कसिी भी वयक्त, स्थानीय प्राधकिरण या एजेंसी (जैसे नगर नगिम) को सीवर और सेप्टकि टैंक की सफाई के लयि लोगों को नयिुक्त या नयिोजति नहीं करना चाहयिे । सेप्टकि टैंकों की यंतरीकृत सफाई एक नरिधारति मानदंड है ।
- यह मैनुअल मैला ढोने वालों का पुनर्वास करने और उनके वैकल्पकि रोजगार प्रदान करने का प्रयास करता है । प्रत्येकस्थानीय प्राधकिरण, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधकिरण अपने अधकार कषेत्र के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के लयि ज़मिमेदार हैं तथा वे कई स्वच्छता सामुदायकि शौचालयों का भी नरिमाण करेंगे ।
- अस्वच्छ शौचालयों का प्रत्येक अधभिगी अपने स्वयं के खर्च पर शौचालय को परविरतति या ध्वस्त करने के लयि ज़मिमेदार होगा । यदा वह ऐसा करने में वफिल रहता है तो स्थानीय प्राधकिारी शौचालय को परविरतति करेगा और उससे लागत वसूल करेगा ।
- हाथ से मैला उठाने वाले करमयिों के रोजगार का नषिध और उनका पुनर्वास (संशोधन) वधियक, 2020 पेश कया गया है ।

स्रोत: पी.आई.बी.